तारीख हुक्म	जयराम V/S राजाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थानान्तरण प्रा.पत्र खारिज किया है प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 8127 दिनांक 29/07/25 के द्वारा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है वास्ते अवलोकन कुरेजात पत्रावली दिनांक 23/09/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
23/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं.01 राजाराम द्वारा प्रा.पत्र प्रारंभिक आपत्ति कुरेजात (जोत क्रियान्वयन प्रस्ताव) पेश किया। वादी वकील द्वारा प्रा.पत्र प्रारंभिक जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत नहीं कर प्रा.पत्र प्रारंभिक आपत्ति पर सीधे बहस की गयी। हमने बहस सुनी। बहस पर मनन किया। प्रा.पत्र, पत्रावली एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। कुरेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरेजात तहसीलदार (भू-अ) बांदीकुई द्वारा पक्षकारो को विधिवत सूचित कर मौके पर बदुसिराजस्व रिकॉर्ड के बनाये गये है तथा यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं.01 द्वारा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति कुरेजात प्रतिवादी सं.01 द्वारा पेश किया है उपरोक्त विवेचन से प्रस्तुत प्रा.पत्र प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने व प्रा.पत्र, पत्रावली व कुरेजात के अवलोकन के आधार पर प्रा.पत्र प्रारंभिक आपत्ति कुरेजात योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। वास्ते मूल बहस पत्रावली दिनांक 24/09/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
24/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.01 राजाराम की ओर से एड. श्री विनोद कुमार विजय ने पावर मय प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात पेश की। वादी वकील श्री नवीन कुमार गुप्ता ने जवाब [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र पर एवं मूल दावा पर बहस सुननी चाही एवं वादी वकील ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सं. 01 द्वारा गत तारीख पेशी पर भी प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश किया था जो न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के यहाँ भी प्रकरण को विलंब / देरी करने के उद्देश्य से स्थानान्तरण प्रा. पत्र पेश किया गया था जिसे माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा खारिज किया जा चुका है। पुनः प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश करना प्रकरण के निस्तारण में विलंब करना है। अतः प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाकर एवं कुर्रेजात स्वीकार कर दावे को अंतिम डिक्री बाबत निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 01 के वकील श्री विनोद विजय द्वारा प्रा. पत्र प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर पुनः कुर्रेजात मंगाये जाने बाबत निवेदन किया है। हमने प्रा. पत्र एवं मूल दावे पर वकील उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र, पत्रावली व कुर्रेजात का पुनः अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राप्त कुर्रेजात तहसीलदार (भू-अ.) बांदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकॉर्ड के बनाये गये हैं तथा यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी / प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रकरण में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है तथा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र ~~आपत्ति~~ कुर्रेजात पेश किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने व प्रा. पत्र, पत्रावली व कुर्रेजात के अवलोकन के आधार पर प्रा. पत्र आपत्ति कुर्रेजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं प्राप्त कुर्रेजात तहसीलदार (भू-अ.) बांदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर २५६ —	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बरूये राजस्व रिकॉर्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद की अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगणान दावा तकास्मा (मे स्थायी निषेधाज्ञा) स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार मौके हुई तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बैसन शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो [illegible] 24/9/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	